



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- कोटा में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं कैशियर (लोक जुम्बिश कार्मिक) को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरापियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 12 फरवरी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कोटा में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर विनोद मिश्रा एवं कार्यालय के कैशियर (लोक जुम्बिश कार्मिक) चन्द्र प्रकाश शर्मा को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि शिक्षण शिविर में सप्लाई किये गये भोजन के बिलों के भुगतान के चैक जारी करने की एवज में कोटा के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा एवं लोक जुम्बिश कार्यालय के कैशियर चन्द्र प्रकाश शर्मा द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1-विनोद मिश्रा पुत्र श्री जनार्दन मिश्रा निवासी म.नं. 2/379, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा हाल अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर एवं 2-चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी म.नं. 3 क्यू 18, तलवण्डी, कोटा हाल कैशियर लोक जुम्बिश कार्मिक कार्यालय अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।